

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तेरह'

[2/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 947]

परिशिष्ट-1


विधान सभा प्रश्न क्रमांक 947 तारांकित संशोधित की जानकारी


खरीफ मौसम 2015 हेतु मंदसौर जिले की बीमा आवरण की जानकारी

बीमित कृषक	बीमित रकबा (हेक्ट)	बीमित राशि रू०	प्रीमियम राशि रू०	क्षतिपूर्ति राशि रू०	लाभान्वित कृषक
150105	262248	6468410109	226390522	क्षतिपूर्ति प्रक्रियाधीन है ।	

खरीफ मौसम 2015 हेतु तहसील सुवासरा की बीमा आवरण की जानकारी

तहसील	बीमित कृषक	बीमित रकबा (हेक्ट)	बीमित राशि रू०	प्रीमियम राशि रू०	क्षतिपूर्ति राशि रू०	लाभान्वित कृषक
सुवासरा	8354	15968	372713675	13044979	क्षतिपूर्ति प्रक्रियाधीन है ।	


अनुभाज अधिकारी
म० प्र० शासन
कृषि विभाग [शाखा - 2].


उप संचालक(फ.बी.)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म०प्र०भोपाल

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के सहयोग से "एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड" (ए.आई.सी.) द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। योजना की इकाई 'तहसील/पटवारी हल्का' है। अतः "व्यक्तिगत क्षति" होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है। फसल-बीमा योजनान्तर्गत केवल खेतों में खड़ी फसल का ही बीमा किया जाता है, खलिहान में रखी फसल का बीमा आवरण नहीं किया जाता है। जिला शासन/राज्य शासन द्वारा अधिसूचित जिलों में घोषित "अनावारी" "सूखा घोषणा/बाढ़ घोषणा" का फसल बीमा क्षतिपूर्ति से कोई संबंध नहीं होता है।

योजनान्तर्गत फसल बीमा क्षतिपूर्ति हेतु "तहसील/पटवारी हल्का" को यूनिट माना गया है। राज्य शासन का राजस्व विभाग रबी/खरीफ मौसम में General Crop Estimation Survey (GCES) हेतु फसल कटाई प्रयोग रेण्डम पद्धति से जो एक तहसील में प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु कम से कम 16 आयोजित करता है और पटवारी हल्का में प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु कम से कम 4 आयोजित करता है, उसका औसत निकालते हैं, जो उस तहसील/हल्का की वास्तविक उपज कहलाती है। यदि संबंधित तहसील में राज्य शासन द्वारा प्रदाय वास्तविक औसत उपज आंकड़े, थ्रेशहोल्ड उपज से (गेहूं, धान फसल हेतु पिछले 3 एवं अन्य फसलों हेतु 5 वर्षों की औसत उपज गुणांक क्षतिपूर्ति स्तर 60/ 80 / 90 प्रतिशत क्षतिपूर्ति स्तर (जो कि मौसमवार, फसलवार, निश्चित होता है) से कम पाये जाते हैं तो उपज में कमी (Shortfall) के आधार पर क्षतिपूर्ति देय होती है। औसत उपज अधिक होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है। वास्तविक औसत उपज थ्रेशहोल्ड उपज से अधिक होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है।

राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा खरीफ मौसम में औसत पैदावार के आंकड़े 31 जनवरी तक/ तुअर, कपास के आंकड़े 31 मई तक/केला 31 दिसंबर तक एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी को उपलब्ध कराये जाते हैं। इसी प्रकार रबी मौसम में औसत पैदावार के आंकड़े 31 जुलाई तक एवं प्याज फसल के आंकड़े 30 सितम्बर तक उपलब्ध कराये जाते हैं, तत्पश्चात दावों की गणना कर प्राधिकृत अधिकारी से क्षतिपूर्ति का अनुमोदन मिलने के बाद (खाद्य फसलें एवं तिलहन के लिए) प्राप्त 100% प्रीमियम राशि तक एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी (ए.आई.सी.) एवं उससे अधिक दावा होने पर केन्द्र एवं राज्य शासन से उनके हिस्से की राशि समान रूप से, प्राप्त कर दावों का भुगतान किया जाता है। वार्षिक नगदी एवं वार्षिक बागवानी फसलों हेतु पूर्ण दावा राशि ए.आई.सी. द्वारा भुगतान किया जाता है। दावा फार्मूला निम्नानुसार है:-


उपज में कमी

दावा = ————— X बीमित राशि

थ्रेशहोल्ड उपज

उपज में कमी = थ्रेशहोल्ड उपज-वास्तविक औसत पैदावार

दावा प्रक्रिया एक स्वचालित प्रक्रिया है, अतः क्षतिपूर्ति हेतु कृषक को कोई औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। यदि तहसील/पटवारी हल्का की उपज में कमी पायी जाती है तो उस तहसील/पटवारी हल्का के उस फसल के समस्त बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है, क्षतिपूर्ति की राशि बैंक (जिस बैंक से कृषक ने बीमा कराया है) को भेज दी जाती है जो बैंक, कृषक के खाते में समायोजित करता है।


उप संचालक कृषि

अनुभाग अधिकारी

म० प्र० शासन

कृषि विभाग [शाखा - 21]

